



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असामान्य
UNORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1992/श्रावण 19, 1914
No. 341] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1992/SRAVANA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1992

सा.का.मि. 721(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा
24 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतत् द्वारा पासपोर्ट नियम,
1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम 1992 कहलाएंगे।

(2) ये 17 अगस्त, 1992 को और उसी दिन से लागू हो जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में :—

(1) नियम 5 में, —

- (i) उप नियम (1) से, धारा (ख) का लोप किया जाएगा तथा धारा (ग) को उसकी धारा (ख) के रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा;
- (ii) उप नियम (2) के परन्तुक में,—(क) “धारा (ख) में उल्लिखित “किसी ट्रेवल एजेंट द्वारा अथवा” शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ख) “धारा (ग)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “धारा (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(2) “प्रपत्र ईए(पी)-1 और प्रपत्र ईए(पी)-2” के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

! “प्रपत्र ईए (पी)-1 भारत के लिए
प्रपत्र ईए (पी)-2 भारत के लिए”

[सं. VIII/887/10/89]

आर.बी. सरधेकर, निवेशक (सी पी बी)

टिप्पणी: विनांक 11 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना सा.का.नि. 691(अ) के तहत प्रकाशित मुख्य नियमों को जाब में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

1. सा.का.नि. 50(अ) विनांक 7-2-1981
2. सा.का.नि. 494(प्र) विनांक 10-3-1981
3. सा.का.नि. 469(अ) विनांक 24-6-1982
4. सा.का.नि. 325(अ) विनांक 12-4-1983
5. सा.का.नि. 482(अ) विनांक 13-6-1983
6. सा.का.नि. 860(अ) विनांक 1-11-1985
7. सा.का.नि. 345(अ) विनांक 29-3-1985
8. सा.का.नि. 857(अ) विनांक 13-10-1987
9. सा.का.नि. 84(अ) विनांक 11-2-1988
10. सा.का.नि. 1155(अ) विनांक 21-11-1988
11. सा.का.नि. 622(अ) विनांक 27-6-1990
12. सा.का.नि. 653(अ) विनांक 20-7-1990

13. सा.का.नि. 100(प्र) दिनांक 4-3-1991
14. सा.का.नि 111(प्र) दिनांक 22-1-1992
15. सा.का.नि. दिनांक 15-6-1992
16. सा.का.नि 684(प्र) दिनांक 23-7-1992

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1992.

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980 namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (3rd Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on and from the 17th August, 1992.

2. In the Passports Rules, 1980 :—

(1) in rule 5,—

(i) in sub-rule (1), clause (b) shall be omitted and clause (c) shall be renumbered as clause (b) thereof.

(ii) in the proviso to sub-rule (2),—(a) the words “a travel agent referred to in clause (b) or” shall be omitted. (b) for the word, brackets and letter “Clause (c)”, the word, brackets and letter “Clause (b)” shall be substituted.

(2) for “form EA(P)-1 and form EA(P)-2”, the following forms shall be substituted, namely :—

“Form EA(P)-1 for India
Form EA(P)-2 for India”

[No. VIII/887/10/89]

R. B. MARDHEKAR, Director (CPV)

NOTE :—The principal rules published vide Notification GSR 691(E) dated 11th December, 1980, were subsequently amended by :—

1. GSR 50(E) 07-02-1981
2. GSR 494(E) dated 10-06-1981

3. GSR 469(E) dated 24-06-1982
4. GSR 325(E) dated 12-04-1983
5. GSR 482(E) dated 13-06-1983
6. GSR 860(E) dated 01-11-1985
7. GSR 345(E) dated 29-03-1985
8. GSR 857(E) dated 13-10-1987
9. GSR 84(E) dated 11-02-1988
10. GSR 1155(E) dated 21-11-1988
11. GSR 622(E) dated 27-06-1990
12. GSR 653(E) dated 20-07-1990
13. GSR 100(E) dated 04-03-1991
14. GSR 111(E) dated 22-01-1992
15. GSR dated 15-06-1992
16. GSR 684(E) dated 23-07-1992